सं. 66(20)पीएफ-II/2016
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
योजना वित्त- II प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
7 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार की परियोजना के मूल्यांकन के अनुसार पीआईबी प्रारूप के भाग के तौर पर मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण।

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण, केन्द्र सरकार की सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा होगा। यह निर्णय भी लिया गया है कि सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) और संबंधित प्रशासनिक विभाग की अध्यक्षता में प्रत्यायुक्त निवेश बोर्ड (डीआईबी) राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र सरकार की परियोजना का मूल्यांकन करते समय यह देखेगा कि परियोजना से संबंधित प्रस्ताव पर मार्गदर्शन करने वाले मंत्रालय/विभाग ने क्या मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण के विकल्प की जांच की है अथवा नहीं। इस संबंध में, मुझे परियोजनाओं के प्रस्ताव के लिए 05 अगस्त, 2016 के का. ज्ञा. सं. 24(35)/पीएफ-II/2012 के अनुबंध-IV-ख के रूप में पूर्व परिचालित सार्वजनिक निवेश बोर्ड/प्रत्यायुक्त निवेश बोर्ड का एक संशोधित प्रारूप संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. यह उल्लेख किया जाता है कि अब सभी पीआईबी/डीआईबी ज्ञापनों में निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के लिए मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण (संशोधित पीआईबी/डीआईबी प्रारूप के भाग के तौर पर) से संबंधित ब्यौरा भी होगा:

(i) यदि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण पर परियोजना के वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में विचार किया गया है।

(ii) यदि मंत्रालय/विभाग ने मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण के विकल्प की जांच की है।

(iii) यदि परियोजना के वित्तपोषण पर परियोजना के लिए वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में विचार किया गया है, तो अनुमानित राशि के ब्यौरे और मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण की विधि का उल्लेख किया जाए।

3. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

7/3/2017
(अनु कुकरेजा)
उप निदेशक (पीएफ- II)
फोन: 23095664

भारत सरकार के सभी सचिव
मंत्रालय/विभागों के सभी वित्त सलाहकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
प्रधानमंत्री कार्यालय
नीति आयोग
रेलवे बोर्ड
आंतरिक परिचालन
एनआईसी-वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
संलग्न: यथोक्त

अनुबंध-IVख

परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड/प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड ज्ञापन का प्रारूप

1. परियोजना की रूपरेखा

1.1 परियोजना का नाम

1.2 प्रायोजक एजेंसी (मंत्रालय/विभाग/स्वायत्त निकाय या उपक्रम)

1.3 परियोजना की प्रस्तावित लागत

1.4 परियोजना के लिए प्रस्तावित घटनाक्रम

1.5 क्या परियोजना किसी स्कीम के एक भाग के रूप में अथवा परिपूर्ण आधार पर कार्यान्वित की जाएगी?

1.6 क्या परियोजना के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटा लिए गए हैं? यदि हां, तो ब्यौरा दें।

1.7 क्या साध्यता रिपोर्ट और/अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है?

1.8 क्या प्रस्ताव एक मूल लागत प्राक्कलन है या एक संशोधित लागत प्राक्कलन?

1.9 संशोधित लागत प्राक्कलन के मामले में, क्या संशोधित लागत समिति की बैठक हो चुकी है और उसकी सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया गया है?

1.10 क्या इस परियोजना के लिए कोई भूमि अधिग्रहण या निवेश-पूर्व कार्य किया गया था या किए जाने का विचार है? क्या ऐसे हस्तक्षेप की लागत इस परियोजना प्रस्ताव में शामिल की गई है?

2. परिणाम और प्रदेय सेवाएं

2.1 परियोजना के उल्लिखित उद्देश्य और लक्ष्य

2.2 परियोजना के लिए वर्ष-वार परिणाम/प्रदेय सेवाएं तालिका के रूप में दर्शाएं

कार्य	**1 वर्ष**		**2 वर्ष और उससे आगे**		**जोड़**	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1, 2, 3 और उससे आगे						

2.3 परिमेय संकेतकों के रूप में परियोजना के लिए अंतिम परिणाम बताएं जिनका प्रयोग परियोजना पूरी होने के बाद प्रभाव के आकलन/मूल्यांकन के लिए किया जा सके। आधार रेखा डाटा अथवा सर्वेक्षण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके मुकाबले में ऐसे परिणाम निर्धारित किए जाएंगे।

3. परियोजना लागत

3.1 निर्धारित अवधि (वर्ष और कार्यकलाप वार, दोनों) के साथ-साथ परियोजना के लागत प्राक्कलन। इसके अतिरिक्त, मानक लागत निर्धारण के लिए संदर्भ तारीखों के साथ-साथ इन लागत प्राक्कलनों का आधार। (वरीयत: यह एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

3.2 यदि भूमि अधिग्रहण किया जाना है, तो पुनर्वास/पुनर्स्थापना की लागत के साथ-साथ भूमि लागत का ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है।

3.3 यदि निवेश-पूर्व कार्य आवश्यक हैं, तो कार्य-वार ब्यौरे के साथ इन पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

3.4 क्या परियोजना समय चक्र के दौरान मूल्य वृद्धि लागत प्राक्कलनों में शामिल की गई है और किस दर पर?

3.5 क्या परियोजना में कोई विदेशी मुद्रा कारक, किया गया प्रावधान या विनिमय दर जोखिमों का सम्भावित प्रभाव शामिल है?

3.6 संशोधित लागत प्राक्कलनों के मामले में, संशोधित लागत समिति की रिपोर्ट के साथ एक अन्तर विश्लेषण संलग्न करना आवश्यक है।

4. परियोजना वित्त

4.1 परियोजना वित्त के स्रोत बताएं: बजट सहायता, आंतरिक और बजटेतर स्रोत, विदेशी सहायता, आदि।

4.2 लागत घटक, यदि कोई हो, बताएं जिसे राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, प्रयोक्ता लाभार्थियों या निजी पक्षकारों द्वारा साझा किया जाएगा।

4.3 आंतरिक और बजटेतर संसाधनों से वित्तपोषण के मामले में, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, अनुमानों और अन्य परियोजनाओं में उनके उपयोग से प्रमाणित की जाए।

4.4 कृपया बताएं कि क्या परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण पर परियोजना के वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में विचार किया गया है।

4.5 यह भी बताएं कि क्या मंत्रालय/विभाग ने मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण के विकल्प की जांच की है।

4.6 यदि परियोजना के वित्तपोषण पर परियोजना के लिए वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में विचार किया गया है, तो अनुमानित राशि के ब्यौरे और मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण की विधि का उल्लेख किया जाए।

4.7 कृपया सहमति/सुविधा पत्रों पर आधारित ऋण की शर्तों के साथ-साथ घरेलू और विदेशी, दोनों ऋण घटकों यदि कोई हो, के लिए वित्तपोषण व्यवस्था बताएं।

4.8 यदि सरकारी सहायता/ऋण अभीष्ट है, तो बताया जाए कि क्या ऐसी धनराशि जुटा ली गई है?

4.9 कृपया ऋण-इक्विटी और ब्याज सुविधा अनुपात और उसके औचित्य के साथ ऋण जुटाए जाने का ब्यौरा दें।

4.10 परियोजना के पूरा होने पर विरासत व्यवस्था, विशेषत: परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए बनाई जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख करें।

5. परियोजना अर्थक्षमता

5.1 जिन परियोजनाओं के वित्तीय लाभों की पहचान की जा सकती है, लाभ की वित्तीय आंतरिक दर की गणना की जाए। बाधा दर 10 प्रतिशत की दर पर मानी जाएगी।

5.2 ऐसी परियोजनाओं के मामले में जिनके आर्थिक लाभ की पहचान की जा सकती है, लाभ की आर्थिक दर की गणना की जाए। ऐसे मामलों में, परियोजना की अर्थक्षमता वित्तीय और आर्थिक लाभ दोनों को मिलाकर निर्धारित की जाएगी।

5.3 ऐसे प्रस्तावों के मामले में जिनमें वित्तीय और आर्थिक लाभ दोनों लाभों की आसानी से गणना नहीं की जा सकती, परिमेय लाभ/परिणाम सामान्य तौर पर बताए जाएं।

नोट: कृपया ध्यान रखें कि सभी परियोजनाएं, चाहे उनके वित्तीय और/अथवा आर्थिक लाभ की गणना की जा सकती हो अथवा नहीं, पीआईबी/डीआईबी मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की जाएं।

6. अनुमोदन और अनापत्ति

विभिन्न स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय निकायों के अनिवार्य अनुमोदन/अनापत्ति की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता एक तालिका के रूप में (भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, वानिकी, वन्य-जीवन आदि) बताएं। यदि

भूमि की आवश्यकता है, स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या एजेंसी के कब्जे में भूमि ऋण भार या अतिक्रमण से मुक्त है या कानूनी प्रक्रियाओं में फंसी हुई है?

क्र. सं.	अनुमोदन/अनापत्ति	संबंधित एजेंसी	उपलब्धता (हां/नहीं)

7. मानव संसाधन

7.1 परियोजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक संरचना बताएं। प्राय: नई संरचना, संस्था के सृजन आदि से बचा जाना चाहिए।

7.2 मानवशक्ति की आवश्यकता, यदि कोई हो। यदि पदों का सृजन (स्थायी या अस्थायी) किया जाना है, व्यय विभाग के कार्मिक प्रभाग को एक अलग प्रस्ताव फाइल पर भेजा जाए। ऐसे प्रस्ताव, मूल्यांकन निकाय द्वारा मुख्य प्रस्ताव संस्तुत कर दिए जाने के बाद ही भेजे जाएं।

7.3 यदि सेवाओं की आउटसोर्सिंग या परामर्शदाताओं की सेवाएं भाड़े पर ली जानी हैं, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाए।

8. निगरानी और मूल्यांकन

8.1 परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियां) बताएं। कितने एजेंसी प्रभार, यदि कोई हो, देय हैं?

8.2 अलग-अलग निर्माण कार्यों की कार्यान्वयन विधि: विभागीय/मद-दर/आद्योपान्त/इपीसी/सार्वजनिक-निजी भागीदारी आदि।

8.3 कृपया महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ पीईआरटी/बार चार्ट में कार्यों का घटनाक्रम बताएं।

8.4 कृपया एमआईएस के साथ निगरानी रूपरेखा और आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था बताएं।

8.5 कृपया बताएं कि परियोजना पूरी हो जाने के पश्चात् प्रभाव के आकलन के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?

9. वित्त सलाहकार, नीति आयोग, व्यय विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों की **टिप्पणियां** यह स्पष्ट करते हुए कि इस प्रस्ताव में सुधार के लिए उनका किस प्रकार समावेशन और उपयोग किया गया है, तालिका के रूप में संक्षेप में दी जाएं।

10. प्रार्थित अनुमोदन:

(.....)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन नं. _____
फैक्स नं. _____
ई-मेल _____

परियोजना के लिए तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ विशेष सारांश संलग्न करें।